

1/160/2017

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई0पी0न0-10-0/
कमांक-160/2017
आरबीई सं0-77/2017
सं0 ई/84/1/IV

दिनांक / 8-08-2017

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:-छोटे परिवार के मानदण्ड को अपनाने के लिए दिए जाने वाले परिवार नियोजन भत्ते को सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार समाप्त करना।

रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या पीसी-V/2017/ए/एफ पी ए/। दिनांक 28.07.2017 की अंग्रेजी एवं हिन्दी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

(Signature) 18.08.17

(ए0 के0 सिंह)

उपमुकाधि/अराज

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर - 40 प्रतियों में।
- 2- महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 3- महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 4- पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर - 01 प्रति में।
- 5- महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 6- मुकाय्याधी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु - 01 प्रति में।

(Signature) 18.08.17

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

3

160/2017

GOVERNMENT OF INDIA/ भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS/रेल मंत्रालय
RAILWAY BOARD/रेलवे बोर्ड

क्र.सं. पीसी-VII/27

सं.पीसी -V/2017/ए/एफपीए/1

आरबीईसं. 77/2017

नई दिल्ली, दिनांक 28/07/2017

महाप्रबंधक

सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
(डाक सूची के अनुसार)

विषय: छोटे परिवार के मानदंड को अपनाने के लिए दिए जाने वाले परिवार नियोजन भत्ते को सातवें
केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार समाप्त करना

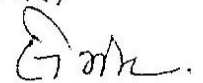
कृपया बोर्ड के दिनांक 14.10.2008 के पत्र सं. पीसी-V/2008/ए/ओ/2(एफपीए) (आरबीई सं.151/2008), जो रेलवे कर्मचारियों को स्वीकार्य परिवार नियोजन भत्ते (एफपीए) की मौजूदा दरों के बारे में है और दिनांक 02.08.2016 के आरएस (आरपी) नियम 2016 (आरबीई सं. 93/2016) की अनुसूची के पैरा 9, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर भत्तों (मंहगाई भत्ते को छोड़कर) से संबंधित मामले को बाद में अलग से अधिसूचित किया जाएगा और तब तक सभी भत्तों का भुगतान, मौजूदा वेतन संरचना (छठे वेतन आयोग पर आधारित वेतन संरचना) में मौजूदा दरों पर ही इस प्रकार किया जाना अपेक्षित है मानो कि 1 जनवरी, 2016 से वेतन में संशोधन न किया गया हो, का अवलोकन करें। तदनुसार, परिवार नियोजन भत्ते का भुगतान भी बोर्ड के दिनांक 14.10.2008 के उल्लिखित पत्र में विनिर्दिष्ट मौजूदा दरों पर किया जाना अपेक्षित था।

2. सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर और इस प्रयोजन के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों के आलोक में विभिन्न भत्तों के संबंध में सरकार के निर्णय अब अधिसूचित कर दिए गए हैं। परिवार नियोजन भत्ता समाप्त करने के संबंध में सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है और यह निर्णय 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी है। तदनुसार, अब तक यथा-स्वीकार्य परिवार नियोजन भत्ता सभी मामलों में समाप्त कर दिया जाएगा।

3. ये आदेश 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी होंगे और अतः परिवार नियोजन भत्ता 1 जुलाई, 2017 से समाप्त हो जाएगा।

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

(प्राधिकार : वित्त मंत्रालय का दिनांक 7 जुलाई, 2017 का का. जा. सं. 12(4)/ 2016 - ई III.ए)



(एन. पी. सिंह)

उप निदेशक, वेतन आयोग V

रेलवे बोर्ड